340

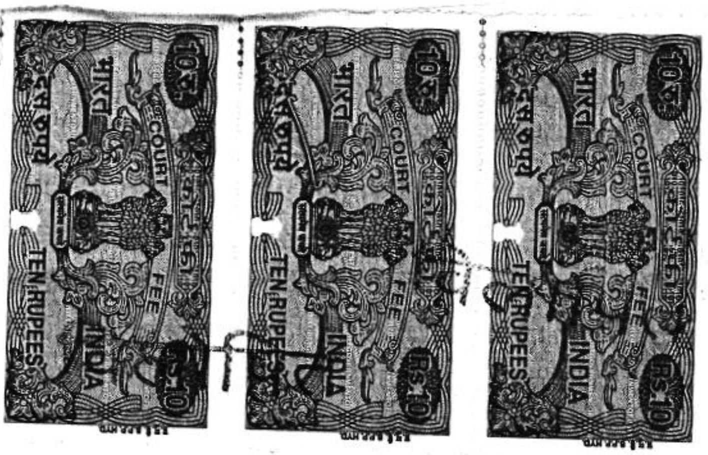

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र0— /2017 निगरानी

III/निगरानी/सतना/भू.रा/2017/6184

आम जनता उमरी एवं बहेरवा द्वारा रामेश्वर तिवारी पुत्र श्री इन्द्रपति तिवारी निवासी—ग्राम बहेरवा तहसील नागोद जिला सतना

..........आवेदक

बनाम

1. न्यायालय नायब तहसीलदार नागोद व्रत्त जसो/रहिकवारा जिला सतना (म0प्र0)
2. सरपंच ग्राम पंचायत मालहन जिला पन्ना (म0प्र0)

.......अनावेदकगण

श्री अरूण कतारे, अभि० द्वारा आज दि. 19-12-17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 19-12-17

निगरानी आवेदन पत्र विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार नागोद व्रत्त जसो/रहिकवारा जिला सतना के प्रकरण क्रमांक—5ए68/17×18 में पारित आदेश दिनांक— 20/11/2017 प्रदर्श A/1

श्रीमान जी,

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/सतना/भू.रा/17/6184, आमजनता कमरी/नायब तहसीलदार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
28/12/18	आवेदक की ओर से श्री अरुण कटारे अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार नागौद के प्रकरण क्रमांक 5/A-68/17-18 में पारित आदेश दिनांक 20/11/17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03/04/19 को कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	